



संशोधित

पत्रांक: 1991/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0-दो/ओ0टी0एस0/2021-22

दिनांक: अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन के पत्रांक: 1979/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0-दो/ओ0टी0एस0/2021-22 दिनांक 20.10.2021 द्वारा समस्त वितरण निगमों में समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0-1 (घरेलू) एवं एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) तथा 5 कि0वा0 तक के विद्युत भार के एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक) श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं के विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु लागू "एकमुश्त समाधान योजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु योजना के अन्तर्गत निम्न प्रक्रिया एवं उत्तर दायित्व तत्काल प्रभाव से निर्धारित किया जाता है:-

क्रम सं०	कार्य बिन्दु	आपेक्षित कार्यवाही	उत्तरदायित्व	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व
1.	मा० ऊर्जा मंत्री के पत्र का वितरण	मा० सांसद/विधायकों/जन प्रतिनिधियों को योजना के सम्बन्ध में मा० ऊर्जा मंत्री द्वारा निर्गत पत्र का वितरण	अधिशाली अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (वितरण)/ डिस्काम मुख्यालय
2.	जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को योजना के सम्बन्ध में अवगत कराना	योजना के लागू होते ही जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को योजना की विस्तारित जानकारी से अवगत कराना एवं सहयोग हेतु अनुरोध करना	अधिशाली अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (वितरण)/ डिस्काम मुख्यालय
3.	योजना का प्रचार-प्रसार	निम्न माध्यमों द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना		
		रेडियो जिंगल/कॉलर-टोन	डिस्काम मुख्यालय	-
		उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल नं० पर एस०एम०एस० द्वारा योजना एवं उसके बकाया बिल/छूट की धनराशि का विवरण उपलब्ध कराना	आई०टी० इकाई, डिस्काम	आई०टी० इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०
		स्थानीय स्तर पर योजना के बैनर/पम्पलेट/समाचार पत्रों/लाउडस्पीकर इत्यादि द्वारा	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (वितरण)

योजना सम्बन्धी उपरोक्त कार्यों पर कार्यवाही पूर्ण करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्मिकों का होगा। जिसकी प्रगति का गहन अनुश्रवण सम्बन्धित डिस्काम मुख्यालय स्तर पर किया जाये तथा शिथिलता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही डिस्काम मुख्यालय द्वारा कर उ०प्र०पा०का०लि० मुख्यालय को सूचित किया जाये।

(पंकज कुमार)

प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्या: /मु०अ० (वाणिज्य)/सीयू०-दो/ओ०टी०एस०/२०२१-२२ तद दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर को इस निर्देश के साथ की वह सभी उत्तरदायी एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों तक इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति आज ही उपलब्ध करा दी जाये।
4. मुख्य अभियन्ता (आई०टी०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण)।

(पंकज कुमार)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री, उ०प्र० शासन को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

(पंकज कुमार)

प्रबन्ध निदेशक